न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 70 / 2017

रमता देवी पत्नि कालूराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो का मोहल्ला वार्ड नं0 10 ग्राम पोस्ट नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 23.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

पटवारी हल्का नासिरदा तहसील देवली स्थित आराज ग्राम नासिरदा तहसील देवली के खाता नं0 1135 खसरा नं0 1119 जमाबंदी सं0 2073–2076 मे नोट नामा0 संख्या 2713 दिनांकितनामान्तकरण जो खोला गया वो किन दस्तावेजो के आधार पर खोला गया।कृपया नामान्तकरण संख्या 2173 से सम्बंधित सम्पूर्ण रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपियां

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 1742 दिनांक 02.11.2017,1790 दिनांक 13.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली के पत्र कमांक 212 दिनांक 08.11.2017 से प्राप्त जवाब अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक